1/192/2023
05.10.23

फर्द अहकाम

[illegible]लय उपखण्ड अधिकारी मुकाम गोविन्दगढ़ (अलवर)
छैला बनाम भोजराज वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो जारी हुआ
05.10.23	वकील वादी उप० । आज यह दावा वादी की ओर से श्री रामसहाय गुर्जर ने पेश किया है। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये रजि० डाक सम्मन तलब हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 12.10.23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०	
12.10.23	पत्रावली पेश। P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 09.11.23 को पेश हो। रीडर	[illegible] 12/10/23
09.11.23	व. [illegible] .... [illegible] ..उपस्थित साबिक आदेश दिनांक .... प्रतिवादी क्र. 192 की ओर से एड. [illegible] ने दिनांक 12.10.23 को वकालतनामा पेश किया। की पालना में पत्रावली वास्ते .... जवाब व शेष की तलबी दिनांक 21.12.23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	
21.12.23	व. [illegible] ..... [illegible] ..उपस्थित साबिक आदेश दिनांक .... की पालना में पत्रावली वास्ते प्रतिवादी 192 का जवाब व शेष की तलबी रजि० डाक से दिनांक 11.1.24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	
11.1.24	पत्रावली पेश। P.O. साहब V.B.S.Y. .... है। कैम्प कार्य में व्यस्त को पेश हो। पत्रावली दिनांक 25.1.24 रीडर	

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ़ जिला अलवर

देवा बनाम मोहम्मद

प्रकरण सं. 1/192/2023 तारीख रजू 05.10.2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
23.4.25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली [illegible] से नकल में है। वादीगण को अनेक अवसर इस आशय से प्रदान किये हैं कि पत्रावली नकल में है, नकलात प्रस्तुत किये जावे परन्तु [illegible] नकलात प्रस्तुत नहीं किये गये है। पत्रावली आदेशिका से स्पष्ट है कि दिनांक 07.02.2024 को पुनः नकलात हेतु लिखवाया गया था। इसके उपरान्त भी वादीगण के निवेदन किये जाने पर नकलात प्रस्तुत करने के अन्तिम अवसर के रूप में भी अनेक अवसर प्रदान किये गये है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 के अन्तर्गत वाद को खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०	